न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिघंल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सख्या : 12/2/22
तारीख दायरा : 16.02.2022

उनवान

1. रीता सिंह पुत्री रघुवीर सिंह पत्नी भरत सिंह निवासी प्लाट नम्बर 8, शिवपुरी झोटवाडा जयपुर, राजस्थान एवं ग्राम मूण्डिया तहसील रैणी जिला अलवर।

.............अपीलाण्ट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रैणी जिला अलवर।
2. ग्राम पंचायत भजेडा तहसील रैणी जिला अलवर।

............रेस्पो0।

(अपील विरूद्व आदेश दिनांक 227 इतंकाल सख्या 05.07.2019 ग्राम पंचायत भजेडा)
उपस्थित – श्री सुनिल शर्मा एडवोकेट

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय :: दिनांक : 23.09.2022

अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मूण्डिया पटवार हल्का भजेडा भू0अ0निरीक्षक रैणी जिला अलवर, राजस्थान में स्थित खाता संख्या नया 135 व पुराना खाता संख्या 133 के खसरा नम्बर 125 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 127 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.31 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.27 है0 स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थीया का हिस्सा 1/8 दर्ज है। उक्त आराजी में पूर्व में रेशा देवी पत्नि रघुवीर सिंह के नाम से हिस्सा 1/2 दर्ज था। रेशा देवी का स्वर्गवास दिनांक 27.04.2018 को हो चुका है। प्रार्थीया/अपीलान्ट की माता के स्वर्गवास के पश्चात उनके हिस्से की आराजी का विरासत नामान्तकरण उनके विधिक वारिसान में ग्राम पंचायत भजेडा द्वारा दिनांक 05.07.2019 को खोला गया, जो इन्तकाल संख्या 227 है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीया का नाम रीतू कंवर पुत्री रघुवीर सिंह राजस्व भू0 अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीया का वास्तविक नाम रीता सिंह है जो कि उसके सम्पूर्ण दस्तावेज जैसे– आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक इत्यादि में दर्ज व अंकित है। इसप्रकार राजस्व भू0 अभिलेखों में प्रार्थीया का नाम रीतू कंवर का इन्द्राज राजस्व कर्मचारियों की लिपिकीय त्रुटि के कारण दर्ज होकर चला आ रहा है। प्रार्थीया की माता की विरासत का नामान्तकरण प्रार्थीया एवं उसके भाईयों के नाम स्वीकृत हुआ परन्तु राजस्व कर्मचारियां की लिपिकीय त्रुटीवश जमाबन्दी इन्द्राज में प्रार्थीया का नाम रीता सिंह के स्थान

पर रीतू कंवर दर्ज दिया, जो गलत है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम मूण्डिया पटवार हल्का भजेडा भू0 अभिलेख निरीक्षक रैणी जिला अलवर राजस्थान में स्थित खाता संख्या नया 135 व पुराना खाता संख्या 133 के खसरा नम्बर 125 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 127 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.31 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.27 है0 में प्रार्थीया का नाम रीतू कंवर के स्थान पर रीता सिंह अंकित किया जावे के नाम की दुरस्ती की जाकर इसी अनुसार राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती करने का आदेश तहसीलदार रैणी को प्रदान किया जावे।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो0 की ओर से कोई उप0 नहीं आया।

योग्य अधिवक्ता अपीलाण्ट को सुना गया। अपीलाण्ट का कथन है है कि राजस्व ग्राम मूण्डिया पटवार हल्का भजेडा भू0अ0निरीक्षक रैणी जिला अलवर, राजस्थान में स्थित खाता संख्या नया 135 व पुराना खाता संख्या 133 के खसरा नम्बर 125 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 127 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.31 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.27 है0 स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थीया का हिस्सा 1/8 दर्ज है। उक्त आराजी में पूर्व में रेशा देवी पत्नि रघुवीर सिंह के नाम से हिस्सा 1/2 दर्ज था। प्रार्थीया/अपीलान्ट की माता का स्वर्गवास दिनांक 27.04.2018 को हो जाने के कारण उनके हिस्से की आराजी का विरासत नामान्तकरण उनके विधिक वारिसान में ग्राम पंचायत भजेडा द्वारा दिनांक 05.07.2019 को खोला गया। उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीया का नाम रीतू कंवर पुत्री रघुवीर सिंह राजस्व भू0 अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम रीता सिंह है। अपीलाण्ट द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में पैनकार्ड, अंकतालिका, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड मूलनिवास प्रमाण पत्र, जन आधारकार्ड, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रतियॉ पेश की गई है। इन दस्तावेजात में अपीलाण्ट का नाम रीता सिंह अंकित है। सरंपच ग्राम पंचायत भजेडा ने अपने पत्रांक द्वारा अवगत कराया है कि विरासत नामान्तकरण संख्या 227 में लिपीकीय त्रुटिवश वारिस रीता सिंह के स्थान पर रीतू कंवर इन्द्राज हो गया। जिस कारण विरासत नामान्तकरण संख्या 227 दिनांक 05.07.2019 में वारिस रीतू कंवर के स्थान पर सही नाम रीता सिंह करने का निवेदन किया है। तहसीलदार रैणी ने अपनी जॉच रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि ''ग्राम मूण्डिया के नामान्तकरण संख्या 227 द्वारा रेशा देवी पत्नी रघुवीर सिंह के विरासत के नामान्तकरण के जरिये रीतू कंवर पुत्री रघुवीर सिह दर्ज होकर ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.07.2019 को सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम पहचान दस्तावेजों में रीता सिंह है चुंकि नाम की अशुद्वि नामान्तकरण संख्या 227 विरासत में हुई है जो कि प्रकरण नामान्तकरण अपीलीय है। अतः प्रार्थीया अपीलान्ट का नाम रीतू कंवर के स्थान पर रीता सिंह किया जाना उचित है।''

योग्य अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा योग्य अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज हाल जमाबन्दी सम्वत 2074–75, विरासत इन्तकाल नम्बर 227, पैनकार्ड, अंकतालिका, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड मूलनिवास प्रमाण पत्र, जन आधारकार्ड, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की और से प्रस्तुत दस्तावेज व रेस्पोडैन्ट की और से प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट से अपील अपीलान्ट सही होने की पुष्टि होती है तथा रेस्पोडैन्ट की और से प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पाई जाती है। अतः

<u>आदेश है कि</u>

अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा इतंकाल सख्या 227 आदेश दिनांक 05.07.2019 ग्राम पंचायत भजेडा को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रैणी को प्रकरण प्रेतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये अपीलाण्ट के वास्तविक नाम की सम्यक जॉच कर पुनः विधिसम्मत इतंकाल निर्णित करें। निर्णय प्रति तहसीलदार रैणी को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)